

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25221/2020-21/

दिनांक :- 31-8-2020

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,
वीरमपुरा (भरतपुर)
ऑफिस आईडी -7180

विषय :- अवमानना वाद संख्या 125/2019 नारायण लाल बनाम नथमल डिडेल व अन्य (अन्तर्गत अपील संख्या 408/2017 में पारित निर्णय 03.06.19) की पालना के क्रम में।

प्रसंग :- राज्य सरकार के पत्रांक प.19 (113) माध्य/ शिक्षा-2/विप्र/2019जयपुर दिनांक 25.08.2020 एवं जिशिअ भरतपुर का पत्रांक जिशिअ/मु/मा/ भरत/विधि/2020/1169 दिनांक 07.07.2020

—0—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में अवमानना वाद संख्या 125/19 नारायण लाल बनाम नथमल डिडेल व अन्य (अन्तर्गत अपील संख्या 408/2017 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2019) की अनुपालना हेतु राज्य सरकार की प्रासंगिक स्वीकृति के क्रम में नीचे लिखे लेखामद में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कार्मिक की ग्रेच्युटी से रोकी गई राशि मय ब्याज के चुकारे हेतु निम्नांकित राशि का आवंटन जारी किया जाता है। राशि का व्यय नियमानुसार किया जावे।

क्र.सं.	बजट मद	आवंटित राशि
3.	2202-सामान्य शिक्षा 02-माध्यमिक शिक्षा 101-निरीक्षण (01)-साधारण व्यय 32-डिक्रीटल मद (राज्य निधि)	1,28,891

अखरे रूपये एक लाख अठाईस हजार आठ सौ इक्कानवे मात्र)

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक :- 31-8-2020

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25221/2020-21/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. वरि.संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, भरतपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, भरतपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
4. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा को उनके पत्रांक शिविरा/मा/विधि/ बी-3/29933/19/53 दिनांक 28.07.2020 के क्रम में लेख है कि वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पत्रांक प.19 (113) माध्य/ शिक्षा-2/विप्र/2019जयपुर दिनांक 25.08.2020 के क्रम में।
5. प्रभारी, पुनः समाधान दल।
6. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर